न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 83/2025 बउनवानी केलाशचन्द वर्मा बनाम उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
बी–23 जय जवान अपार्टमेंट विज्ञान नगर सेक्टर–1 जयपुर

GCMS No-2025/ 194

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
3.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर के पत्रांक 39 दिनांक 9.5.2025 द्वारा एक इस्तगासा धारा 126(135) 1 बीएनएस परिवाद गैरसायल चिरंजी पहाडिया पुत्र नारायण लाल खटीक निवासी विज्ञान नगर रणथम्भौर रोड के विरुद्व प्रस्तुत इस्तगासे की समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति।* " उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: सूकाअ/2024/1176 दिनांक 27.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना न्यायालय के दस्तावेज की होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है एवं अपीलान्ट आवेदन पत्र खारिज कर जरिये पत्रांक 1136 दिनांक 18.7.2025 से अपीलान्ट का वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है । अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक अपनी आपत्ति प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत न्यायालय की सूचनाऐ देने से मना करते हुए मुझे अभी तक सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जबकि न्यायालय से संबंधित सूचनाऐ उक्त अधिनियम के तहत दिये जाने का प्रावधान है। कथन के समर्थन मे पूर्व मे उपलब्ध करवायी गयी सूचना की प्रति एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) का परिपत्र दिनांक 19.7.2019 की प्रति पेश कर सूचना दिलवाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जो उचित नही है। अतः ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:38:45 IST Reason: SelfAttested ([illegible] राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner